

प्रेषक,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग,
एवं उधमसिंहनगर।

दिनांक : 13 सितम्बर, 2011


विषय: जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं उधमसिंहनगर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सृजित अस्थाई पदों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-849/XVIII(1)/2011-03(18)/2009 दिनांक 18.08.2011 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं अन्य के साथ आपको पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं उधमसिंहनगर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सृजित अस्थाई पदों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-151/18(1)/2006 दिनांक 25.03.2006 के द्वारा सृजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों को संलग्न विवरणानुसार स्थाई करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संलग्न :- उक्त।

भवदीय,




(एन0एस0नेगी)

अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

o/c

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि - आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(एन0एस0नेगी)

अपर मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

o/c

R14 3139
27/08/11

संख्या- 849 / XVIII(1) / 2011-03(18) / 2009


प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

अनु अधि० (श्री ३०१)


25-8-11

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 18 अगस्त, 2011


विषय- जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं ऊधमसिंहनगर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सृजित अस्थाई पदों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2423/मु0रा0आ0/2010 दिनांक 24.06.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-151/18(1)/2006 दिनांक 25.03.2006 के माध्यम से सृजित 04 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के अस्थाई पदों को संलग्न विवरणानुसार स्थायी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त आदेश अधिकारों का प्रतिनिधायन-अस्थाई पदों का स्थायीकरण विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-118/XXVII(7)/2006 दिनांक 31.08.2006 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।



भवदीय,
17-08-11
(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

संख्या (1)/XVIII(1)/11 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
- 2 आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3 जिलाधिकारी बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं ऊधमसिंहनगर।
- 4 कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं ऊधमसिंहनगर।
- 5 निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 6 वित्त अनुभाग-5/7
- 7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव।

संलग्नक

शासनादेश संख्या 849 / XVIII(1) / 2011-03(18) / 2009, दिनांक ...18... अगस्त, 2011 द्वारा राजस्व विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों हेतु दिनांक 01.03.2011 से स्थायी किये गये पदों का विवरण :-

क्र0 सं0	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप से सृजित हुआ था।	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था।	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	04	9300-34800 (ग्रेड पे)- 4600	शासनादेश संख्या-151 / 18(1) / 2006 दिनांक 25.03.2006	123 / XVIII(1) / 10-03(18) / 2009 दिनांक 26 जुलाई 2010 के द्वारा दिनांक 28.02.2011 तक के लिए निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।	जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं ऊधमसिंहनगर के लिए सृजित कुल 04 पद।

(कुँवर राजकुमार)

सचिव

राजस्व विभाग।

KRM
17-08-11